सत्यमेव जयते

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096
टेली- 022-28294799, फैक्स : 022-28291754,
ई-मेल- dcseepz-mah@nic.in

सार्वजनिक सूचना सं. 13 /2015/16457

विषयः जोनल विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले प्राइवेट विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार के पहचान पत्र जारी किए जाने के संबंध में क्रियाविधि (प्रोसिज़र)।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है तथा सेज़ अधिनियम, 2005 की धारा 46 तथा सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 70 के अधीन यथानिर्धारित क्रियाविधि के अनुसार पहचान पत्र जारी करके इस क्षेत्र में प्रवेश को नियंत्रित किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकों तथा यूनिटों के कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना सुकर हो सके, इसके लिए (सीप्ज़-सेज़ को छोड़कर) सभी सेजों के विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सेज़ विकासकों तथा यूनिटों के कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करने की शक्ति सौंपी गई है।

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी किए आदेशों का अधिक्रांत करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुसरण किया जाएगाः-

1. **आवेदन, रंग प्रणाली संबंधी क्रियाविधि**

(क) क्रियाविधि

(i) विकास/यूनिट जांच सूची (संलग्नक-ए) के अनुसार विनिर्दिष्ट अधिकारी को पहचान पत्र जारी करने के लिए विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(ii) विकासक/यूनिट सेज़ नियमावली, 2006 के फार्म के (संलग्नक-बी) में यथानिर्धारित फॉर्मेट में अस्थायी तथा स्थायी पहचान प्रस्तुत करेंगे।

(iii) विकासक/यूनिट निर्धारित फॉर्मेट (संलग्नक-सी) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे जिन्हें पहचान पत्र जारी किया जाना हो।

(iv) विकासक द्वारा दैनिक गेट पास का फॉर्मेट संबंधित सेज़ों के विनिर्दिष्ट अधिकारियों के साथ परामर्श करके निश्चित किया जाएगा।

(v) विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान पत्रों की मासिक सूची विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक जोनल विकास आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) रंग प्रणाली जारीकर्ता प्राधिकारी

क्रमांक	गेट पास का विवरण	रंग प्रणाली	जारीकर्ता प्राधिकारी
1.	दैनिक गेट पास	सादा कागज (हवाइट पेपर)	सेज़ विकासक के सुरक्षा कर्मी)
2.	अस्थायी पहचान पत्र (06 महीने के लिए)	हरी पट्टी अथवा हरा रंग जोकि विनिर्दिष्ट अधिकारी से परामर्श करके निश्चित किया जाए।	विनिर्दिष्ट अधिकारी
3.	स्थायी पहचान पत्र (3 वर्ष)	नारंगी पट्टी अथवा रंग जोकि विनिर्दिष्ट अधिकारी के परामर्श करके निश्चित किया जाए।	विनिर्दिष्ट अधिकारी

2. **<u>पुलिस कर्मियों का प्रवेश</u>**

(i) क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों का प्रवेश प्रतिबंधित है, तथापि निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराए जाने पर विनिर्दिष्ट अधिकारी प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं:-

(क) नाम तथा पदनाम

(ख) पहचान पत्र संख्या

(ग) जहां जाना चाहते हों, वहां का नाम

(घ) आने का प्रयोजन

(ii) प्राधिकृत अधिकारी ड्यूटी पर आने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मी की सहायता के लिए उनके साथ एक सुरक्षा रक्षक तैनात करेगा। इस प्रकार तैनात किया गया सुरक्षा रक्षक पुलिस अधिकारी/कर्मी के साथ तब तक रहेगा जब तक कि वह परिसर से बाहर न चला जाए।

3. **<u>सरकारी/अर्ध सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रवेश</u>**

सरकारी/अर्ध सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षेत्र के अंदर आने के लिए विकास आयुक्त से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

4. **<u>गेट पासों का लौटाया जाना/(सरेंडर किया जाना) तथा खोना</u>**

(i) विकासक/यूनिट अपने कर्मचारियों के त्यागपत्र देने अथवा उनके नौकरी से निकाले जाने अथवा पहचान पत्र की वैधता अवधि के समाप्त होने की स्थिति में उनके अस्थायी/स्थायी पहचान पत्र लौटाएगा (सरेंडर करेगा)। विकासक/यूनिट का प्रबंधन ऐसे समाप्त हुए पहचान पत्रों के किसी प्रकार से किए जाने वाले दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।

(ii) पहचान पत्रों के खो जाने की स्थिति में, अधिकार-क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) दर्ज करवाई जाएगी तथा इसकी मूल प्रति डूप्लिकेट पहचान पत्र जारी किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को दी जाएगी।

(iii) पहचान पत्रों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने अथवा इसका किसी भी प्रकार से दुरूपयोग किए जाने पर यह रद्द किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

(वी.पी. शुक्ल)
उप विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

अनुलग्नक-यथोपरि

प्रति,

(i) विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले सभी विकासकों तथा यूनिटों (सीप्ज़-सेज़ को छोड़कर)

(ii) विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी

(iii) वेबसाइट

(iv) विआका